



कार्यालय प्रधानाचार्य :: जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज :: कानपुर

Tel.:+91-51272535483, E-mail : gsvm@yahoo.co.in, website : www.gsvmmmedicalcollege.com

संख्या: 219 / नॉन पी०जी० / द्यू०-डिमाँ० / छा०लि०-1

दिनांक: 31, जुलाई, 2025

-: सेवायोजन विज्ञप्ति :-

इस कार्यालय के सेवायोजन विज्ञप्ति संख्या- 161/नॉन पी०जी० अ०प्र०/छा०लि०-1/2025, दिनांक: 07-06-2025 के क्रम में इस चिकित्सा महाविद्यालय के नॉन पी०जी० जे०आर० (हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन) पदों व सेवायोजन विज्ञप्ति संख्या- 273/छात्र लि०/एन०डी०/2024 दिनांक 26-09-2024 द्वारा दन्त रोग विभाग में सृजित नॉन पी०जी० जे०आर०/डिमाँन्सट्रेटर के सापेक्ष रिक्त पदों को भरे जाने हेतु दिनांक- 06-08-2025 को समय प्रातः 10:30 बजेसे अपराह्न 1:30 बजे के मध्य अपने समस्त मूल शैक्षणिक अभिलेखों एवं एक प्रति स्वप्रमाणित छायाप्रतियों सहित इस चिकित्सा महाविद्यालय के पी०सी०आर० कक्ष, जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर मे अभिलेखों के सत्यापन/वॉक इन इण्टरव्यू हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करे। विवरण निम्नवत् प्रस्तुत है:

नान पी०जी० जूनियर रेजीडेण्ट (शास० सं०- 156 दि० 13-06-2018, नियत वेतन रूपया 63,000/- प्रतिमाह)

क०	विशिष्टता	रिक्तपदों की संख्या	अनारक्षित	अन्य पिछड़ावर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचितजनजाति	आर्थिक रूप से कमजोर
1	दन्त रोग	01	00	01	00	00	00

नान पी०जी० जूनियर रेजीडेण्ट/डिमान्सट्रेटर/द्यूटर (शासनादेश सं०- 3126 दिनांक 07-09-2010 तथा शासनादेश सं०-05 दिनांक 11-01-2016 वेतनमान रूपया 56100, लेवल-10 अन्य भत्ते)

क०	विशिष्टता	रिक्तपदों की संख्या	Gen	OBC	SC	ST	EWS
1	दन्त रोग नॉन पी०जी०/डिमाँन्स०	01	00	00	00	00	01
2	नॉन पी०जी० जे०आर० (हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन)	02	00	00	02	00	00

रिक्त सीटों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

नियम एवं शर्तें :

- उक्त पदों हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने समस्त मूल शैक्षिक प्रमाण-पत्रों एवं 02 नवीन फोटो, मेडिकल काउंसिल के स्थाई पंजीकरण व सहित उपस्थित होना अनिवार्य है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में शासकीय नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी तथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय न होगा।
- उक्त पदों पर यदि, महानिदेशालय/शासन स्तर से बॉण्डधारी अभ्यर्थी/अन्य अभ्यर्थी की नियुक्ति सम्बन्धितविभाग में की जाती है, तो यह नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिस हेतु अलग से कोई आदेश/निर्देश की आवश्यकता नहीं होगी।
- किसी भी संस्था में कार्य कर रहे अभ्यर्थियों को उस संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा।


(प्रधानाचार्य)

मेडिकल कालेज, कानपुर।

संख्या- 219 / तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सेवायोजन विज्ञप्ति को अपने विभाग के नोटिस बोर्ड में लगवाने की व्यवस्था अपने स्तर से करें तथा साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें।
3. कुलसचिव/ प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, लखनऊ/ सैफई, इटावा/ मेरठ/ आगरा/ इलाहाबाद/ झांसी/ गोरखपुर/ अम्बेडकर नगर/ कन्नौज / जालौन / बांदा/सहारनपुर/बदायूं को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सेवायोजन विज्ञप्ति को कार्यालय/छात्रावासों की नोटिस बोर्ड तथा कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मेडिकल कालेज, कानपुर।
5. प्रभारी अधिकारी अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त सेवायोजन विज्ञप्ति को समस्त मेडिकल कालेजों को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
6. प्रभारी अधिकारी वेबसाइट, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त सेवायोजन विज्ञप्ति को कालेज की वेबसाइट पर upload/प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
7. सूचना पट, कालेज/केन्द्रीय पुस्तकालय/छात्रावास, मेडिकल कालेज, कानपुर।
8. प्रधान लिपिक, अधिष्ठान/लेखा/कैशियर, मेडिकल कालेज, कानपुर।


(प्रधानाचार्य)

मेडिकल कालेज, कानपुर।